



# उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई 3

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

(“उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु”)

## स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री / श्री शशांक श्रीवास्तव

624-आवास विकास कालीनी स्टपवानपर्फ कस्त्रा योजना

वस्त्री (प्र० प०) नि० प्रा० 2017/66

दिनांक 18.8.2017

पत्रांक 289

भवन / संख्या E.W.S.-624 योजना स्टपवानपर्फ कस्त्रा नगर ०८८८

निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 31-07-2017 के क्रम में नि० प्रा० रजिस्टर संख्या 103/847

के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों, शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

1. स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 18.8.2017 से 17.8.2022 तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।

2. यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल तथा ममटी हेतु 38.70 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये 69.888 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।

3 भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड- 34 उ० प्रा० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।

4 यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।

5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

6. 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

पृ० सं० 289  
प्रतिलिपि :-

/ उपरोक्त

तददिनांक 18.8.2017

- अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड 34 उ० प्रा० आवास एवं विकास परिषद प्रागाणसी को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय प्रागाणसी उ० प्रा० आवास एवं विकास परिषद प्रागाणसी को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक



## उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई 3.

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

(“उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु”)

### स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/ श्रीमती/ ~~भूतल देवी~~ / ०५६७ भूतल देवी पाठी  
E.W.S. - २२० भूतल देवी पाठी  
~~पत्र~~

पत्रांक २७०

नि० प्रा० २०१७/६३

दिनांक २८-७-२०१७

भवन/ ~~भूतल देवी~~ संख्या २२० योजना ~~भूतल देवी~~ नगर ~~भूतल~~

निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक ..... के क्रम में नि० प्रा० रजिस्टर संख्या .....

..... के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों, शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/ जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

1. स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक २८-७-२०१७ से २८-७-२०२२ तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
2. यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, ~~भूतल देवी~~ हेतु ३८.७० वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये ४२.७५५ वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
- 3 भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड— ३४ उ० प्रा० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से १४ दिन पूर्व देनी होगी।
- 4 यदि इस भवन/ भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
6. ३०० वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

*(Signature)*  
विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

पृ० सं० २७०

/ उपरोक्त

तददिनांक २८-७-२०१७

प्रतिलिपि :-

1. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड— ३४ उ० प्रा० आवास एवं विकास परिषद ~~भूतल~~ को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय ~~भूतल~~ उ० प्रा० आवास एवं विकास परिषद ~~भूतल~~ को उपरोक्त शर्त सं. ५ के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

*(Signature)*  
विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक  
*(Signature)*  
२८/७/१७



## उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

("उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु")

### स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/ श्रीमती/ कुमारी सीना  
भवन संख्या 113 स्ट्रीट-पुरी  
बत्ती

पत्रांक 81

नि० प्रा० २०१६/२०

दिनांक 9.3.2016

भवन/ भूखण्ड संख्या/ खस्ता संख्या ८.१.८.-१.३ योजना स्ट्रीट-पुरी नगर बत्ती  
निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक ०३.०३.२०१६ के क्रम में नि० प्र० रजिस्टर संख्या ९९/२७  
के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों, शासनादेशों  
के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/ जानकारी को गलत  
पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

1. स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 9.3.2016 से 8.3.2021 तक) पाँच वर्ष की तोगी। निर्माण  
विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों  
सहित मान्य होगा।
2. यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल तथा ममटी-हेतु ५.५.३.९ वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये  
५०.७५ वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
3. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड- ३५  
उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
4. यदि इस भवन/ भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित  
सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
6. 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

पृ० सं० 81

/ उपरोक्त

प्रतिलिपि :-

१. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड ३५ उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद गोक्तव्य-पुरी  
को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
२. सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय स्ट्रीट-पुरी सीना उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद बत्ती  
को उपरोक्त शर्त सं. ५ के सन्दर्भ में सचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रिशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक  
तददिनांक 9.3.2016

प्रिशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक  
सं. १३/१६



# उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई दृष्टीय

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

(‘उप्रो आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु’)

## स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/ श्रीमती/ कुमारी मरीज देवी W/O श्री नित्यनन्द  
ग्राम- मुन्डरवा गोट्ट - लखनऊ  
जिला - बस्ती

पत्रांक 129

निः प्रा 2016 / 113

दिनांक 21/4/2017

भवन/ भूखण्ड संख्या/ खस्स संख्या 11/3/4 योजना कटरा नगर बस्ती

निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 06.4.2017 के क्रम में निः प्रो रजिस्टर संख्या 629

के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों, शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/ जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

1. स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 21/4/2017 से 20/4/2022 तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
2. यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल तथा ममटी हेतु 209.78 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये 127.50 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
- 3 भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड- 37 उप्रो आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
- 4 यदि इस भवन/ भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
6. 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

*[Signature]*  
विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

*[Signature]*  
Recent

तददिनांक

पृष्ठ सं 129

/ उपरोक्त

प्रतिलिपि :-

1. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड 37 उप्रो आवास एवं विकास परिषद *[Signature]* को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय *[Signature]* उप्रो आवास एवं विकास परिषद *[Signature]* को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

*[Signature]*  
विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक